समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-35/आ0प्र0, दिनांक-03.10.2018 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल मो0-40,12,700/- (चालीस लाख बारह हजार सात सौ) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को निम्न अंचलाधिकारी को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्त्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
1	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	800000	-	**800000**
2	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	2400000	400000	**2800000**
3	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	800000	1612700	**2412700**
4	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	3200000	-	**3200000**
5	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	400000	400000	**800000**
6	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	1200000	1600000	**2800000**
7	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	400000	-	**400000**
8	अंचल अधिकारी, चौसा	3260000	-	**3260000**
9	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	804300	-	**804300**
10	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	400000	-	**400000**
11	अंचल अधिकारी, आलमनगर	1604300	-	**1604300**
12	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	800000	-	**800000**
13	अंचल अधिकारी, पुरैनी	1200000	-	**1200000**
	कुल-	**17268600**	**4012700**	**21281300**

(मो0-चालीस लाख बारह हजार सात सौ) रूपये।

उपावंटन की शर्तें :-

(1) यह आवंटन (1) **मृतक**-आदर्श कुमार, अंचल-सिंहेश्वर (2) **घायल**-नीतिश कुमार, अंचल-सिंहेश्वर (3) **मृतक**-राम कुमार पाण्डेय उर्फ मनरय पाण्डेय, अंचल-सिंहेश्वर (4) **मृतक**-जोगी चौपाल, अंचल-सिंहेश्वर (5) **मृतक**-राहुल कुमार, अंचल-सिंहेश्वर (6) **मृतक**-बिरेन यादव, अंचल-कुमारखंड (7) **मृतक**-अमर कुमार, अंचल-कुमारखंड (8) **मृतक**-तारणी मंडल, अंचल-कुमारखंड (9) **मृतक**-सूर्यनारायण यादव, अंचल-कुमारखंड (10) **मृतिका**-सोनम कुमारी, अंचल-उदाकिशुनगंज (11) **मृतिका**-बीभा कुमारी, अंचल-घैलाढ़ के आश्रितों/घायलों को अनुदान भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।

(2) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत

हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मांग संख्या-39 युनिट कोड 37 01 अनुग्रह अनुदान द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(4) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रुप से दिनांक-15.03.2019 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रुप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

(7) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1642/आ0प्र0 दिनांक-22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2019 तक निश्चित रुप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक :861/ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक :08/10/2018

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

8/10

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।